यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त, गोपेश्वर (चमोली)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त, गोपेश्वर (चमोली) के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.01.2019 से 05.02.2019 तक श्री संदीप गर्ग लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.11.2017 से 13.11.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - समस्त उत्तराखण्ड

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	4,041.67
2016-17	4,677.99
2017-18	5,282.15

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	-	-	60,06,000	58,76,283		1,29,707
2016-17	-	-	-	-	70,45,000	59,60,586		10,84,414
2017-18	-	-	-	-	60,91,000	59,98,613		92,387

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (आबकारी) - आबकारी आयुक्त - अपर आबकारी आयुक्त - वित्त नियंत्रक - संयुक्त आबकारी आयुक्त - उप आबकारी आयुक्त - सहायक आबकारी आयुक्त - आबकारी निरीक्षक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त, गोपेश्वर (चमोली)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त, गोपेश्वर (चमोली)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 06/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 10/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर:1- बैंक गारण्टी पर निर्धारित दर से कम स्टाम्प शुल्क लिया जाना ₹ 0.69 लाख।

इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 33 के अनुसार विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यो के सम्पादन मे कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नही है, उसे जब्त करेगा।पुन: अनुसूची एक ख-12 –क के अनुसार बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक ₹1000/- या उसके भाग के लिये पांच रुपये परन्तु शुल्क ₹10000/- से अधिक नही होगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चमोली के विदेशी मदिरा के फुटकर लाइसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18 (संलग्न विवरण) में लाइसेन्स धारक द्वारा जो बैक गारण्टी जमा की गयी थी, उस पर स्टाम्प शुल्क कम अदा किया गया था, जिसके कारण कुल ₹ 68,709 /- कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग नेआपत्ति स्वीकार करते हुए बताया कि संबन्धित बैंको को लेखा परीक्षा दल द्वारा उठायी गयी आपत्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा, साथ ही अनुज्ञापियों को भी निर्देशित किया जायेगा ।

अत: ₹ 0.69 लाख राजस्व कमी का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

“संलग्नक “

क्रम सं0	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	बैंक गारंटी की धनराशि	बैंक का नाम	देय स्टाम्प शुल्क (रू में)	जमा स्टाम्प शुल्क (₹में)	अवशेष स्टाम्प शुल्क (₹ में)
1	गैरसैन		23,26,503		10,000		10,000
2	चमोली		18,01,943		9,009		9,009
3	कर्णप्रयाग		69,09,236		10,000		10,000
4	नारायणबगण		21,52,171		10,000	100	9,900
5	देवाल		25,07,357		10,000	100	9,900
6	जोशीमठ		28,45,112		10,000	100	9,900
7	गोपेशवर		32,49,469		10,000		10,000
योग					69,009	300	68,709

भाग 2 "ब "

प्रस्तर 02- अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि मे आवश्यक दस्तावेज नहीं जमा किए जाने के बावजूद लाईसेंस फीस जब्त न किया जाना ₹86.35 लाख।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 260/XXIII/2017/04(01) 2017 देहरादून दिनांक 19.05.2017 के अनुसार आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नियम 16(3) मे यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise settlement of licenses for retail sale (country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष मे जब्त कर दिया जायेगा। यदि आवेदक के पास पैन नम्बर नही हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

आपके कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी चमोली के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18 मे जनपद के विदेशी मदिरा के अनुज्ञापियों (संलग्नक के अनुसार) द्वारा आवश्यक सभी/पूर्ण अभिलेख आबकारी नीति के नियम-16(3) के अनुसार निश्चित समयावधि अर्थात 20 दिन के अन्दर प्रस्तुत नही किए गये थे। अत: विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस ₹86.35 लाख, सरकार के पक्ष मे जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना चाहिए था, एवं इसके अतिरिक्त 20 दिन के अन्दर अन्य जमा राजस्व भी जब्त किया जाना चाहिए था। परन्तु विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर लाइसेन्स हेतु जमा धनराशि एवं प्रतिभूति जमा धनराशि को जब्त किए जाने की कार्यवाही नही की गयी थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि चूंकि अनुज्ञापियों द्वारा अन्य कार्यालय में आवेदन किया गया था, कार्यवाही गतिमान थीं | अत: लाइसेन्स निरस्त नही किया गया था| उक्त प्रकरण में राजस्व कि कोई हानि नही हुई हैं, अत: आपत्ति निक्षेप योग्य है।

विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योकि लाइसेंस निरस्त न किए जाने के संबंध में शासन से कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया था। अत: विभाग को आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2017-18 के नियम 16 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए था।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र.स.	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	दुकान आवंटन तिथि	दस्तावेज़ प्रस्तुत की अंतिम तिथि	विलंब से प्रस्तुत दस्तावेज़	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की तिथि	लाइसेन्स फीस
1	गोपेश्वर	मुकेश असवाल	30-05-2017	19-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र	18-07-17	28,26,000/-
2	देवाल	श्री दीपक कुमार	30-05-2017	19-06-2017	स्थायी निवास प्रमाण प्रत्र हैसियत प्रमाण प्रत्र	13-07-17 30.6.2017	21,81,000/-
3	जोशीमठ	श्रीमती उर्मिला देवी	30-05-2017	19-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र	07-07-17	24,75,000/-
4	मैहलचौरी	श्री राजेन्द्र सिंह	09-06-2017	29-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र	11-07-17	11,53,000/-
					योगफल		**86,35,000/-**

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर 3- आवेदन पत्र शुल्क पर वैट की वसूली नहीं करने से राजस्व क्षति ₹ 28.18 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(1) के अनुसार, किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया। विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2017-18 हेतु कुल 835 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ एवं प्रति आवेदन पत्र ₹25000 की दर से कुल आवेदन प्रति शुल्क रू 2,08,75,000 प्राप्त हुआ परन्तु प्राप्त आवेदन पत्र शुल्क ₹ 2,08,75,000 पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की उपरोक्त धारा 3(1) के अन्तर्गत कर वसूल कर राजकोष में जमा नहीं किया गया है। अत: प्राप्त आवेदन पत्र शुल्क ₹ 2,08,75,000 पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹ 28,18,125 (₹ 2,08,75,000x13.5 प्रतिशत) कर अनुज्ञापियों से वसूल कर राजकोष में मुख्य लेखाशीर्ष 0040 में जमा कराया जाना अपेक्षित था, जिसे जमा नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि आबकारी नीति वर्ष 2017-18 में वैट (मूल्यवर्धित कर) वसूल किये जाने के कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। चूंकि आवेदन पत्रों की कोई बिक्री नहीं की गयी है, अत: प्राप्त आवेदन पत्रों पर वैट वसूल किये जाने का कोई प्रकरण नहीं था। अत: प्रकरण निक्षेप किये जाने योग्य है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निविदा प्रपत्रों की बिक्री की भांति देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने/बिक्री किये जाने पर भी उपरोक्त दर से वैट वसूल किया जाना अपेक्षित था।

अत: प्राप्त आवेदन पत्र शुल्क ₹ 2,08,75,000 पर वैट ₹ 28,18,125 न वसूल किये जाने से राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SE-26/2002-03	01	-	
SE-29/2005-06	**-**	**01**	
SE-53/2008-09	**01**	**-**	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त गोपेश्वर (चमोली)**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री हरीश चन्द्र कुमार	जिला आबकारी अधि. (01.04.2017 से 10.01.2018)
(2)	श्रीमती दीपाली शाह	जिला आबकारी अधि. (11.01.2018 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त गोपेश्वर (चमोली)**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र